न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 110/2017 (उदयपुर डिक्री)

उदयसिंह पिता श्री केसरसिंह राजपूत, निवासी ग्राम ठीकली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मानसिंह पिता स्वर्गीय लालसिंह उर्फ प्रतापसिंह राजपूत, निवासी ग्राम ठीकली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. पनसिंह पिता स्वर्गीय लालसिंह उर्फ प्रतापसिंह राजपूत, निवासी ग्राम ठीकली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. लहरसिंह पिता स्वर्गीय लालसिंह उर्फ प्रतापसिंह राजपूत, निवासी ग्राम ठीकली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का. अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा
दिनांक 05.07.2017, प्र.सं. 95/2016

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री अजय सनाढय अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री गजेन्द्र नाहर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———:::———

निर्णय दिनांक

25–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की आराजो नंबर 2576 रकबा 0.0450 हैक्टर भूमि में कुछ समय पूर्व प्रतिवादीगण ने वादी की अनुपस्थिति में पूर्व दि''ाा की ओर करीब 700 वर्गफीट पर कच्ची पत्थरों की कोट बनाकर कब्जा कर लिया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वाद वर्णित भूमि की नियमानुसार नपती करवाकर वादी के स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी का पुनः दिलाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में अपने निर्णय दिनांक 05–07–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–08–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री गजेन्द्र नाहर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि प्रकरण में आगामी पे''ाी दिनांक 11–07–2017 नियत थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इससे पूर्व ही प्रकरण दिनांक 05–07–2017 को राजस्व लोक अदालत में रखकर वादी की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाकर उसे मेरिट पर बिना सुने वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर कथित निर्णय व डिकी अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिकी को सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि दिनांक 05–07–2017 को वादी/अपीलान्ट लोक

अदालत में उपस्थित था ऐसी स्थिति में उसका यह कथन कि उसे बिना सुने अधिनस्थ न्यायालय ने उसका वाद खारिज किया है, उचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक वादी/अपीलान्ट का यह उजर कि प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण ने उसके खाते की आराजी नंबर 2576 रकबा 0.0450 हैक्टर में करीब 700 वर्गफीट भूमि पर कब्जा कर लिया है, जबकि प्रतिवादीगण इससे इंकार करते हैं। ऐसी स्थिति में वादी/अपीलान्ट को दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने कथन को साबित कराना था, किन्तु इस बाबत् उनकी ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है तथा वह यह भी साबित नहीं करा सकता है कि उसकी जो भूमि कम हुई है वह किस आराजी में गयी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वाद का वाद खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–07–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस. ....
....

उदयसिंह पिता श्री केसरसिंह राजपूत, बनाम मानसिंह पिता स्व. लालसिंह उर्फ
निवासी ग्राम ठीकली, तहसील बड़गांव प्रतापसिंह, नि. ग्राम ठीकली, तह.
जिला उदयपुर बड़गांव जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं........**110/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी** ....**(फास्ट ट्रेक)गिर्वा**.......... मुकाम...........मुवर्खे.........**05**............
.माह..............**07**............**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**25**....माह........**09**.......सन् **2019** रूबरू........
पक्षकारान
व हाजरी........**श्री अजय सनाढय**.........मिनजानिब अपीलान्ट व.........**श्री गजेन्द्र नाहर**........

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 05—07—2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये
.... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**25**......माह.......**09**...
........**2019**
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।